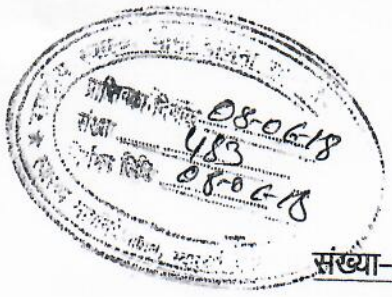

महत्वपूर्ण

संख्या–983/पांच–1–2016–5(19)/2018

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,
चतुर्थ तल, नवचेतना केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1

लखनऊ : दिनांक 09 जून, 2018

विषय : केन्द्र सहायतित "प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन" योजना को उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एन0एच0पी0एस0/पत्रा–431/2018–19/282, दिनांक 07.05.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर प्रदेश में संचालित की जाने वाली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के कियान्वयन के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि–परिषद से अनुमोदन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि केन्द्र सहायतित ''प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन'' योजना के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0 (सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना) डाटा बेस के पात्र लाभार्थी परिवारों को चिन्हित राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से रू0–5.00 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश सरकार के द्वारा मा0 मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 30.05.2018 में भारत सरकार की पूर्व से संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर प्रदेश में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– केन्द्र सहायतित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना को प्रदेश में लागू किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के सम्बन्धित परामर्शी विभागों से अभिमत प्राप्त करते हुए परीक्षणोंपरान्त उत्तर प्रदेश में ''प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन योजना को भारत सरकार की गाईड लाईन के आधार पर संचालित किया जायेगा। योजना के कियान्वयन हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं :–

1– **योजना का लाभ :–**भारत सरकार द्वारा पाँच लाख रूपये तक प्रति वर्ष प्रति परिवार फ्लोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा अनुबन्धित राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता एवं मेडिकल पैकेज के अनुसार प्रदान की जाएगी।

2–पात्र लाभार्थी परिवारों की पात्रता एवं सूची :– भारत सरकार में प्रस्तावित योजना पात्रता आधारित है। भारत सरकार द्वारा लाभार्थी परिवारों की पात्रता का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में एस0ई0सी0सी0 डाटाबेस की वंचित श्रेणियाँ (D-1, D-2, D-3, D-4, D-5 एवं D-7) तथा स्वतः शामिल श्रेणियाँ एवं शहरी क्षेत्रों में 11 पेशेवर कामगार श्रेणियों के आधार पर किया गया है। भारत सरकार द्वारा ही पात्र लाभार्थियों की सूची राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी प्राविधानित है कि राज्य सरकार अपने व्यय पर अन्य श्रेणियों को भी योजना का लाभ प्रदान कर सकती है।

1. **चिकित्सालयों की सूचीबद्धता** :–योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालय (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उसके उच्च स्तरीय चिकित्सालय) स्वतः सूचीबद्ध होंगे एवं निजी चिकित्सालयों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्ध होने वाले राजकीय चिकित्सालयों द्वारा पात्र लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त प्रस्तुत चिकित्सा दावा के सापेक्ष बीमा सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा भुगतान की गई धनराशि को सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय के ''रोगी कल्याण समिति'' के खाते में जमा किया जायगा।

2. **मेडिकल पैकेज** :– भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना के अन्तर्गत होने वाले उपचार का सम्पूर्ण व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा पैकेज का निर्धारण किया जायेगा एवं निर्धारित पैकेज में उपचार से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यय सम्मिलित होंगे। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार एक निश्चित सीमा तक निर्धारित पैकेज में संशोधन भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके लागू करेगी।

3. **योजना का संचालन** :–योजना का संचालन बीमा सेवा प्रदाता कम्पनी/कम्पनियों के माध्यम से Insurance Mode पर चलाया जायेगा।

4. **बीमा सेवा प्रदाता कम्पनी का चयन** :– बीमा सेवा प्रदाता कम्पनी के चयन हेतु मॉडल निविदा प्रपत्र भारत सरकार द्वारा निर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार को राज्य की आवश्यकतानुसार निविदा प्रपत्र में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है किन्तु संशोधन की स्थिति में संशोधित निविदा प्रपत्र को भारत सरकार से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य है। राज्य में बीमा सेवा प्रदाता कम्पनी का चयन नियमानुसार ई–निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

5. **योजना के क्रियान्वयन हेतु विभाग का चयन** :– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही थी। ''प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन'' का भी संचालन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के माध्यम से किया जायेगा।

6. **स्टेट हेल्थ एजेंसी का चयन** :– भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रदेश में योजना किसी सोसाईटी/ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किये जाने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ''उ0प्र0 स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति'' जो कि सोसाईटीज एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाईटी है, के माध्यम से वर्ष 2008 से संचालित की जा रही थी। इस प्रकार उक्त योजना का संचालन एवं प्रबन्धन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग के अधीन पूर्व से गठित ''उ0प्र0 स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति'' के माध्यम से स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज–साचीज द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

7. **जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन** :–भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (DIU) क्रियाशील की जायेगी, जो योजना के हित में जनपद हेतु चयनित बीमा सेवा प्रदाता कम्पनी एवं सूचीबद्ध चिकित्सालय के मध्य सामंजस्य स्थापित कर योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगी तथा नियमित रूप से प्रगति आख्या, स्टेट हेल्थ एजेन्सी (एस0एच0ए0) को उपलब्ध करायेगी।

8. **शिकायत निवारण तंत्र** :–भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार शिकायतों के निवारण हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जाएगा, जिनकी पूर्व निर्धारित समयान्तराल पर नियमित बैठकें आयोजित कर प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जाना प्रस्तावित हैं।

9. **योजना का वित्त पोषण** :– भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना के अधीन 02 ESCROW ACCOUNT खोले जायेंगे, इन में से एक खाते के माध्यम से बीमा सेवा प्रदाता कम्पनियों को देय प्रीमियम का भुगतान केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन किया जायेगा एवं दूसरे खाते से योजना के अन्तर्गत होने वाले प्रशासनिक व्ययों हेतु प्राप्त होने वाले रू0–50/– प्रति लाभार्थी परिवार की दर से केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन किया जायेगा। बीमा सेवा प्रदाता कम्पनियों को देय प्रीमियम का भुगतान चरणबद्ध ढंग से किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत (केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में) क्रमशः रू0–410 करोड़ व रू0–30 करोड़ कुल रू0–440 करोड़ का प्राविधान किया गया है। जिससे योजना के अन्तर्गत व्यय किया जाना है एवं सम्भावित व्यय के आकलन के पश्चात् पुनर्विनियोग के माध्यम से भी अनुपूरक माँग का प्रस्ताव यथा समय प्रेषित की जायेगी।

10. **भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य अनुबन्ध का निष्पादन** –भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ड्राफ्ट अनुबन्ध पत्र के आधार पर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मध्य योजना से सम्बन्धित अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा।

4– अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार की गाइडलाइन्स एवं उपर्युक्त व्यवस्थानुसार ''प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन'' योजना का संचालन उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित करते हुए योजना के प्रगति से शासन को समय–समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
11. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
12. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
13. निदेशक, चिकित्सा उपचार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
14. निदेशक, सी0एच0सी0/पी0एच0सी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
15. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश।
18. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त अनुभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।